आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

09/09/21

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 44/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

भू–दाता नरेश तिवारी, पिता–लाल तिवारी, ग्राम–अमरा, थाना+जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
20	–	01 कठा	उत्तर–छौर दक्षिण–नाला पूरब–छौर पश्चिम–नीज

मौजा–अमरा, थाना–अरवल, थाना संख्या–96, अंचल+जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से भूदाता को नोटिस तामिला कराया गया एवं वर्णित भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा नोटिस तामिला एवं जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वर्तमान कब्जाधारी को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, अरवल के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया। भूदाता के तरफ से अजीत पाण्डेय, पिता–श्री सुरेन्द्र रायम (दाता का नाती) न्यायालय में उपस्थित हुए। कब्जाधारी के तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नही हुए और ना ही किसी के द्वारा कोई आपति दर्ज की गई है।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर अंकित है। मधुसुदन प्रसाद हि का गवाह के नाम दर्ज है। भूदाता द्वारा वर्णित भूमि दिनांक 10.04.1954 को भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से दिया गया है। अंचल अधिकारी, अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि वर्णित भूमि का खतियान उपलब्ध नही है। खतियानधारक एवं भूदाता का संबंध स्पष्ट नही है। सुकन तिवारी, पिता–रामदीप तिवारी के नाम पर खाता संख्या–20 का जमाबंदी संख्या–155/11 दर्ज है। वर्तमान में वर्णित भूमि पर कब्जाधारी सुकन तिवारी दखल कब्जा में है। जमाबंदी रैयत भूदाता का भतीजा है। भूमि रैयति खाते की है। भूहदबंदी, गैरमजरूआ आम, मालिक,

खास, कैशरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, चिरारी आदि से मुक्त है।

भू–दाता के नाती अजीत पाण्डेय ने बताया है कि नरेश तिवारी का एक ही मात्र पुत्री राम सवारी देवी थी। वर्णित भूमि के संबंध में मुझे मालूम नही है कि नरेश तिवारी द्वारा दान पत्र के माध्यम से वर्णित भूमि दान में दिया गया है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) पटना का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है लेकिन खेसरा संख्या अंकित नही है तो वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या, मौजा एवं रकवा अंकित है में संपुष्टि की कार्यवाई की जायेगी क्योंकि संपुष्टि के पश्चात् जमीन को चिन्हित करना संभव है।

भूदाता द्वारा भूदान यज्ञ दान पत्र के माध्यम से वर्णित भूमि दिनांक 10.04.1954 को दान पत्र के द्वारा भूमि दान में दी गई है एवं वर्तमान में भूदाता के संबंधी/वंशज सुकन तिवारी उक्त भूमि पर दखल कब्जा में है एवं उनके नाम से जमाबंदी कायम है। इससे स्पष्ट है कि दान देने के समय भूदाता का वर्णित भूमि पर Right Titel Intrest था जिसे भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) पटना के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 एवं अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदाता द्वारा दान पत्र के माध्यम से दान में दी गई भूमि को बिहार भूदान अधिनियम 1952 की धारा 11 (5) के अन्तर्गत वर्णित भूमि को संपुष्टी की जाती है। आदेश की एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।